

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी  
चिकित्सालय कोरबा छ.ग.

मेडिकल ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग कार्य हेतु द्वितीय निविदा

निविदा प्रपत्र क्रमांक –

वर्ष 2023–24

जारी दिनांक— 25.08.2023

जमा दिनांक— 08.09.2023

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000/- रुपये

26/8  
JW  
AB  
Baw  
Baw

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी  
चिकित्सालय कोरबा (छत्तीसगढ़)– 495677

क्रमांक / निविदा / अनुरक्षण / 2023–24 / 2095

कोरबा, दिनांक 21.8.23

// निविदा सूचना //

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय, कोरबा (छ.ग.) के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु मेडिकल ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग कार्य हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा हेतु विस्तृत शर्तों की जानकारी, प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राशि रु. 1000/- (एक हजार मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट(डी.डी.) JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा पत्र प्राप्त करने की तिथि

— दिनांक 25.08.2023 से 07.09.2023 सायं 05 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

— दिनांक 08.09.2023 दोपहर 03:00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से

निविदा खोलने की तिथि

— दिनांक 08.09.2023 समय 04:00 बजे  
स्थान—कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, स्व. बि. दा. म. स्मृति चिकि. महा. सं. इं. गां. चिकित्सालय कोरबा छ.ग.

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
स्व. बिसाहू दास महंत चिकि. महाविद्यालय  
संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा (छ.ग)

JW OM SPAN

20

## निविदा की प्रक्रिया

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरण में संपन्न किया जायेगा। प्रथम चरण प्रीक्वालीफिकेशन/तकनीकी बीड़ तथा द्वितीय प्राइस बीड़ अलग-अलग लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा और दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में डालकर लिफाफा के उपर मेडिकल ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग कार्य हेतु निविदा लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

## निविदा गणना करना

निविदा की गणना दो चरण में होगा।

1. चरण 01— प्रथम चरण प्रीक्वालीफिकेशन बीड़ का होगा जिसमें अहता संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रीक्वालीफिकेशन बीड़ में जो फर्म सफल होगा वह आगे द्वितीय चरण के लिये योग्य होगा।
2. चरण 02— द्वितीय चरण प्राइस बीड़ का होगा, प्रीक्वालीफिकेशन बीड़ में जो निविदादाता सफल होते हैं उनका प्राइस बीड़ खोला जाएगा एवं अवलोकन किया जायेगा। तत्पश्चात् निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का तुलनात्मक प्रपत्र तैयार किया जावेगा। जिसमें न्यूनतमदर प्रदायकर्ता फर्म को क्रय आदेश जारी किया जावेगा।

## नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000 रु. के डीमाण्ड ड्राफ्ट(डी.डी.) **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। महाविद्यालय के वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने पर टेक्नीकल बीड़ के साथ निविदा प्रपत्र की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमा नहीं किये जाने के स्थिति में निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।
2. अमानत राशि के रूप में राशि रु. 20,000.00 (बीस हजार मात्र) के एफ.डी.आर (FDR) **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा के पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा किया जाना होगा। सफल निविदाकारों द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि का एफ.डी.आर (FDR) निविदा समाप्ति तक जमा रखा जाएगा। जिस पर किसी भी प्रकार व्याज देय नहीं होगा।
3. अमानत राशि सफल निविदादाता का रोककर, शेष निविदादाता को अमानत राशि दर निर्धारण होने के बाद वापस कर दिया जावेगा।
4. संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) उक्त निविदा को बिना किसी कारण दर्शाये, किसी एक मद अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. न्यूनतम दर प्रदाता फर्मों से अनुबंध संपादित किया जावेगा निविदा दर अनुबंध तिथि से 12 महीने तक के लिए वैद्य रहेगा तथा अति आवश्यक होने की स्थिति में दोनों पक्षों के सहमति पर निविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त की जा सकती है।
6. निविदा खोले जाने के बाद निविदादाता को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
7. क्रय समिति निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति को मूलप्रति से मिलान/सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसलिए प्रस्तुत समस्त संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति निविदा खोलने के दिनांक साथ में लाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को अपना वैध जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अंतिम वर्ष की जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जीएसटी से छूट प्राप्त करने की स्थिति में दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।



9. निविदादाता को फर्म/प्रोफाईटर का पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता फर्म के जीवित फैक्ट्री लाइसेंस, मेडिकल गैस लाइसेंस जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता फर्म के सी.ए. से प्रमाणित अंतिम 03 वर्ष (2020-21, 2021-22, 2022-23) का टर्नओवर प्रमाण पत्र जो 20 लाख (बीस लाख) प्रतिवर्ष या अधिक का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. फर्म के अंतिम 03 वर्ष का Income tax return प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।
13. चिकित्सालय अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने के कारण तत्काल सर्विस उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदाकार फर्म का स्थानीय स्तर पर शाखा होना अनिवार्य है। जिसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
14. शासकीय/अर्धशासकीय या पब्लिक सेक्टर चिकित्सालय में मेडिकल ऑक्सीजन गैस सप्लाई का अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
15. निविदा खुलने के दिन निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण—पत्र सहित) उपस्थित हो सकते हैं।
16. सफल निविदादाता अनुबंध होने के बाद किसी भी कारण से अनुमोदित दरों में अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
17. निविदा के दर में सभी प्रकार के करों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कुल दर के अतिरिक्त अलग से किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. चिकित्सालय के खाली ऑक्सीजन सिलेंडर का संग्रह करना एवं सिलेंडर रिफिलिंग के उपरांत चिकित्सालय तक पहुंचाने का कार्य निविदाकर्ता को स्वयं के वाहन पर किया जाना होगा। सिलेंडर का रिफिलिंग कार्य 24X7 कार्य दिवस रहेगा। सिलेंडर का डिलिवरी पीरियड संग्रह करने के समय से 24 घण्टे के अंदर/उसी दिन किया जाना अनिवार्य है।
19. ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी तथा एल 2 फर्म से रिफिलिंग कार्य करवा कर उसके अंतर की राशि प्रथम स्वीकृत निविदाकर्ता की धरोहर राशि/देयक से कटौती कर वसूल की जावेगी। अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदाकार के विरुद्ध भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित नियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20. निविदादाता को आदेश उपरांत स्वीकृत दर पर निविदा अवधि तक कार्यों को किया जाना है, निविदा स्वीकृत दर में किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं की जायेगी।
21. क्रय समिति निविदा शर्तों में आवश्यकतानुसार एवं संस्थान हित में संशोधन/शिथिलिकरण कर सकेगी।
22. प्राईस बीड निर्धारित प्रपत्र में सुस्पष्ट मुद्रित किया हुआ प्रस्तुत किया जाना होगा, हाथ से लिखा हुआ अथवा व्हाईटनर प्रयोग किया हुआ प्राईस बीड स्वीकार नहीं किया जावेगा।
23. निविदादाता को पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया हो का शपथ पत्र 50 रु. का स्टॉम्प पेपर में नोटराईज्ड किया जा कर जमा किया जाना अनिवार्य है।
24. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग का दर अन्य किसी शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी कार्य को कम दर पर नहीं किया गया हो के संबंध में राशि रु. 50.00 के स्टॉम्प पेपर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
25. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है के संबंध में राशि रु. 50.00 के स्टॉम्प पेपर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
26. फर्म को निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त शर्तें (क्रमांक 01 से 27 तक) मान्य हेतु रु. 100 के स्टॉम्प पेपर में शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
 स्व. विसाहू दास महंत चिकि.महाविद्यालय  
 सबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा (छ.ग)

200

Jan April May

200

## निविदा प्रक्रिया

प्रीक्वालिफिकेशन बीड लिफाफा (लिफाफा-01) में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा-

S.No.	Prequalification Term & Conditions	Page no.
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000 रु. के डीमाण्ड ड्राफ्ट(डी.डी.) JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। महाविद्यालय के वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने पर टेक्नीकल बीड के साथ निविदा प्रपत्र की राशि के डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमा नहीं किये जाने के स्थिति में निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।	
2	अमानत राशि के रूप में राशि रु. 20,000.00 (बीस हजार मात्र) के एफ.डी.आर (FDR) JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के नाम पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
3	निविदादाता को अपना वैध जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अंतिम वर्ष की जी.एस.टी रिटर्न फाईल की खवहस्ताक्षरित की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
4	निविदादाता फर्म के सी.ए. से प्रमाणित अंतिम 03 वर्ष (2020-21, 2021-22, 2022-23) का ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग कार्य का टर्नओवर प्रमाण पत्र जो 20 लाख (बीस लाख) प्रतिवर्ष या अधिक का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
5	निविदादाता को फर्म/प्रोपाईटर का पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
6	फर्म के अंतिम 03 वर्ष का Income tax return प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।	
7	निविदादाता फर्म के जीवित फैक्ट्री लाइसेंस, मेडिकल गैस लाइसेंस जमा किया जाना अनिवार्य होगा।	
8	किसी शासकीय/अर्धशासकीय या पब्लिक सेक्टर चिकित्सालय में मेडिकल ऑक्सीजन गैस सप्लाई का अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।	
9	निविदाकर्ता को पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया हो का शपथ पत्र 50 रु. का स्टॉम्प पेपर में नोटराइज्ड किया जा कर जमा किया जाना अनिवार्य है।	
10	निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग का दर अन्य किसी शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी कार्य को कम दर पर नहीं किया गया हो के संबंध में राशि रु. 50.00 के स्टॉम्प पेपर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
11	फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है के संबंध में राशि रु. 50.00 के स्टॉम्प पेपर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
12	फर्म को निर्धारित प्रारूप में नियम एवं शर्त (क्रमांक 01 से 27 तक) मान्य हेतु रु. 100 के स्टॉम्प पेपर में शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	

प्राईस बीड लिफाफा (लिफाफा-02) में निम्नानुसार प्रारूप में दर प्रस्तुत किया जाना होगा –

निम्न प्रारूप में सामग्री का दर प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्य प्रारूप में प्रस्तुत सामग्री का दर स्वीकार नहीं किया जावेगा –

No.	Description	Size	Qty	Rate	GST %	GST Amount	Total Amount
1.	Oxygen Cylinder D Type	7 CU	1 Cylinder				
2.	Oxygen Cylinder B Type Jumbo	1.5 CU	1 Cylinder				
3.	Oxygen Cylinder for Boyles apparators	0.9 CU	1 Cylinder				
4.	Nitrous Oxide cylinder	0.9 CU	1 Cylinder				
5.	CO2 Cylinder	30 KG	1 Cylinder				

  
संयुक्त सचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
स्व. बिसाहू दास महंत चिकि.महाविद्यालय  
संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा (छ.ग)

  
  
